

(स्पीड पोस्ट)

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(574 साउथ सिविल लाईन्स.)

क्रमांक फा0नं0 18/स्था./राविसेप्रा/

/2022

जबलपुर, दिनांक /08/2022

शुद्धि पत्र

इस प्राधिकरण द्वारा जारी जिला विधिक सहायता अधिकारी के नियुक्ति आदेश क्रमांक 2808 दिनांक 23.08.2022 में "श्री सागर अग्रवाल पिता श्री राकेश अग्रवाल" के स्थान पर "श्री सागर अग्रवाल पिता श्री राजेश अग्रवाल" पढा जावे।

Sdr
(राजीव कर्महे)
सदस्य सचिव

पृष्ठा0क0 फा0नं0 18/स्था0/राविसेप्रा0/ 2835/2022 जबलपुर, दिनांक 24/08/2022
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (द्वितीय) मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक सह-आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर मध्य प्रदेश राज्यपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि झाबुआ में जिला विधिक सहायता अधिकारी की नियमित पदस्थापना होने के कारण जिला विधिक सहायता अधिकारी धार को झाबुआ लिंक कार्य से मुक्त किया जाता है।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर।
10. श्री सागर अग्रवाल पिता श्री राजेश अग्रवाल, बी-74 आकृति गार्डन नेहरू नगर के पास भोपाल की ओर पालनार्थ।
11. वेतन लिपिक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. आई.टी. शाखा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की ओर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु।
13. स्थापना शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Sdr
(राजीव कर्महे)
सदस्य सचिव